भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2815

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वर्षा का प्रभाव

2815 श्री कपिल सिब्बल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2026 के वर्तमान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान, सर्वाधिक प्रभावित हुए राज्यों सहित, भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ अथवा क्षरण के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे के खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन मरम्मत, पुनः बहाली तथा यातायात प्रबंधन के लिए कितनी धनराशि आवंटित एवं प्रयुक्त की गई है; और

(ग) भविष्य में मानसून से संबंधित बाधाओं, दुर्घटनाओं तथा आम जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए राजमार्ग परियोजनाओं में जल निकासी व्यवस्था, सड़क के ढलान का संरक्षण करने तथा जलवायु-सहनीय अभिकल्पों को अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्ष 2026 के वर्तमान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ अथवा क्षरण के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे खंडों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों/ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन मरम्मत, बहाली और यातायात प्रबंधन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	**आवंटन (₹ करोड़)**	**व्यय (₹ करोड़)**
2026-27 (30.06.2026 तक)	13,000*	2,923
***** **- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित निधि आवंटन।**		

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल निकासी प्रणालियों का निर्माण अपेक्षित यातायात, सड़क के महत्व और संरचना, जल स्रोतों, जलग्रहण क्षेत्र की जलविज्ञान और जल-भूविज्ञान की स्थितियों, सड़क की

ज्यामितीय विशेषताओं, अत्यधिक ढलान और अनुप्रस्थ ढलानों की उपस्थिति, खुदाई और भूमि भराव क्षेत्रों, मौजूदा जल निकासी प्रणालियों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तथापि, मौजूदा जल निकासी प्रणाली की सफाई न होने, अनधिकृत निर्माण द्वारा जल निकास के अवरुद्ध होने, कुछ मामलों में जल निकासी प्रणाली के खराब रखरखाव और अप्रत्याशित वर्षा के कारण जल निकासी प्रणालियों में बाढ़ आने से जल निकासी प्रणालियों में स्थानीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए, स्थल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलियों का निर्माण और मौजूदा जल निकासी प्रणाली की जल निकासी क्षमता का उन्नयन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आपदा प्रतिरोधी राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें शामिल हैं: -

i. परामर्दाताओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भाग के रूप में ढलान अध्ययन और स्थिरीकरण को शामिल करना होगा। भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच, मार्गाधिकार के भीतर और बाहर दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए की जानी चाहिए ताकि संपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। साथ ही, जल संग्रहण नालियों, जल संग्रहण गड्ढों वाली पार्श्व नालियों, कट-ऑफ नालियों, क्रॉस ड्रेनेज आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ii. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों के लिए पहाड़ी ढलानों की स्थिरता की जांच और लागत प्रभावी दीर्घकालिक स्थिरीकरण उपायों के चयन हेतु मानकीकृत मापदंडों का कार्यान्वयन।

iii. पहाड़ी निर्माण पद्धति को बेहतर किया गया है जिसके तहत अनिवार्य है कि प्रारंभिक निर्माण कार्य केवल पहाड़ी कटाई और ढलान संरक्षण के लिए है, और स्थिर कटाई निर्माण और संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद ही राजमार्ग निर्माण कार्य किया जाएगा।

iv. पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्यों के लिए, डीपीआर परामर्दाताओं के लिए मानक प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ और मानक इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध दस्तावेज़ में संशोधन किए गए हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए हैं।

v. डीपीआर परामर्दाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय आपदा आपातकालीन प्रबंधन (एनडीईएम) पोर्टल के डेटासेट पर आधारित विश्लेषण को अनिवार्य रूप से शामिल करें, जिसमें मार्ग संरेखण अनुकूलन, बाढ़ क्षेत्र और जल निकासी योजना, जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन, पर्यावरणीय और सामाजिक जांच, पहाड़ी सड़कों के मामले में भूस्खलन जोखिम मानचित्रण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। एनडीईएम पोर्टल में विगत तीस वर्षों के बाढ़ इतिहास के पैटर्न, जल निकासी परतें और नदी बेसिन नेटवर्क (क्रॉस-ड्रेनेज संरचना डिजाइन और हाइड्रोलिक विश्लेषण के लिए), बाढ़ क्षेत्र और जलमग्न क्षेत्र (बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए), मिट्टी

और भू-तकनीकी परतें (भू-तकनीकी व्यवहार्यता और फुटपाथ डिजाइन संबंधी विचारों के लिए) आदि महत्वपूर्ण भू-स्थानिक परतें शामिल हैं।

vi. नारियल/जूट की चटाई से जल-सीडिंग जैसी टिकाऊ जैव-इंजीनियरिंग उपायों का कार्यान्वयन, परस्पर जुड़े हुए पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को स्थिर करने के लिए हरी पट्टियों के साथ चेन मेश, सीढ़ीदार मेड़ों द्वारा बांस के ढेर और जूट की चटाई पर वेटिवर घास के रोपण के साथ कटाव नियंत्रण आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

vii. बाढ़, हिम झील के फटने के कारण बाढ़ (जीएलओएफ), भूस्खलन, हिमस्खलन या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति आदि या आपदा के दौरान आपातकालीन मरम्मत कार्यों के मामले में फील्ड अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वर्षा का प्रभाव' के संबंध में श्री कपिल सिब्बल के द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2026 के वर्तमान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ अथवा क्षरण के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे खंडों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

क्र.सं.	**राज्य**	**लंबाई (मीटर में)**
1	आंध्र प्रदेश	3,500
2	अरुणाचल प्रदेश	8,965
3	असम	8,325
4	छत्तीसगढ़	21,390
5	गुजरात	6,000
6	हिमाचल प्रदेश	27,221
7	जम्मू और कश्मीर	10,115
8	कर्नाटक	1,130
9	केरल	1,751
10	महाराष्ट्र	13,338
11	मणिपुर	1,551
12	मेघालय	1,180
13	मिजोरम	3,775
14	नागालैंड	1,390
15	ओडिशा	5,400
16	सिक्किम	8,414
17	तेलंगाना	1,160
18	त्रिपुरा	1,390
19	उत्तराखंड	13,126
20	पश्चिम बंगाल	3,838
